प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/6/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। अधि. प्रां. उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/8/25 को पेश हो।
13/8/25	वकील प्रार्थी अनु.। बहस हेतु आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश हो। पत्रावली वास्ते बहस दि. 8/10/25 को पेश हो।
8/10/25	वकील प्रार्थी उप.। वकील अप्रार्थी अनु.। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस वकील अप्रार्थी एवं आदेश दि. 29/10/25 को पेश हो।
29/10/25	वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिस कुए का वर्णन वाद में किया गया है वो शामलाती कुआ है, सभी का पैसा लगा हुआ है। प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया कि रास्ता कहॉ बना हुआ है न ही नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है अभिवचनो से रास्ता की स्थिति स्पष्ट नही हो रही है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम जाखमुण्ड से गोविन्दपुर बावडी की बडी नहर की तरफ वाले रास्ते पर मिलता है जो कि लगभग 50 वर्षो से बना हुआ है। जिसका उनको आवश्यता जनित सुखाधिकार प्राप्त है। वाद वर्णित आराजी पर निर्मित कुऐं के पास ही पूर्व दिशा में 10 गुणा 10 का पक्का कमरा बना हुआ है। जिसमें दोनों के विद्युत कनेक्शन हो रखे है। क्वॅाटर को लेकर विप्रार्थना होने पर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ था व क्वॅाटर को हटाने की सहमति बनी। किन्तु प्रार्थी ने राजीनामा की उल्लंघना की। जिस रास्ते को लेकर यह विवाद बना है वह 50 वर्ष पुराना है। जिससे अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आते जाते है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी नये रास्ते का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी

प्र.सं. ..../ वाद / प्र.पत्र /..........

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नही होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पक्षकारान के मध्य मूलतः विवाद वाद वर्णित आराजी में स्थित रास्ते को लेकर है। जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेज एवं विधि वर्णित तथ्यों के आधार पर निस्तारण होना है किन्तु पक्षकारों के मध्य विवाद को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षकारों को ताफैसलावाद वाद वर्णित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। मौके पर स्थित रिथ्ती में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आपस में नहीं करेंगे ना ही अपने प्रतिनिधी से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। Sd/-	